



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:एफ.14()शैक्ष.॥/मदसविवि/2026/2176

दिनांक: 20.01.2026

कार्यालय आदेश

विद्या परिषद की 79वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2025 के मद संख्या 15 के निर्णय की पालना में सत्र 2026-27 से महाविद्यालयों (बी.एड. महाविद्यालयों के अतिरिक्त) में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि हेतु प्रति पाठ्यक्रमवार (अतिरिक्त संचालित विषयों को छोड़कर) पाई गई समस्त कमियों के आधार पर आर्थिक दण्ड वसूलने संबंधी कमियों का पुनर्निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु महोदय के आदेश दिनांक 12.12.2025 की पालना में निम्नानुसार पाई गई कमी/कमियों के आधार पर महाविद्यालय पर प्रति पाठ्यक्रम, अध्यादेश 70-ए के प्रावधानानुसार राशि रुपये 50,000/- आर्थिक दण्ड (अतिरिक्त संचालित विषयों को छोड़कर) लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्धारित मानदण्डानुसार प्राचार्य/शिक्षक नियुक्त नहीं पाये जाने के आधार पर।
2. निर्धारित मानदण्डानुसार प्राचार्य/शिक्षक योग्यताधारी नहीं पाये जाने के आधार पर।
3. नियमानुसार स्वयं के भवन में महाविद्यालय का संचालन नहीं किये जाने के आधार पर।
4. आधारभूत सुविधाएँ यथा- पुस्तकों की कमी, प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की कमी, पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षक नियमानुसार योग्यताधारी नहीं पाये जाने के आधार पर।

- Sd-


कुलसचिव

क्रमांक:एफ.14()शैक्ष.॥/मदसविवि/2026/2177-660

दिनांक: 20.01.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक-4, आरकेएस संकुल जे0एल0एन0 रोड़, जयपुर (राज0)-302017
2. समस्त प्राचार्य, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
5. उप कुलसचिव शैक्षणिक-1, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलगुरु सचिवालय, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. निजी सहायक- कुलसचिव, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर।


उप कुलसचिव (शैक्ष.॥)